Regional Officer
फैक्स Tele Fax: 0145-2421543
फोन Phone:- 2627460
Admn I Section
फोन Phone:2627451 Extn-25
E-mail:roajmer.cbse@nic.in

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(क्षेत्रीय कार्यालय)
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
टोडरमल मार्ग, अजमेर 305030 (राजस्थान)

निविदा सूचना

बोर्ड मे आवश्कतानुसार विभिन्न कार्यो के सम्पादन हेतु लगभग 50 कुशल एंव अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने के लिऐ निविदाऐं आमंत्रित है। निविदा प्रपत्र एंव इसकी आवश्यक शर्त बोर्ड की वेबसाइट www.cbse.nic.in से डाउनलोड करके प्राप्त किये जा सकते है एंव इस कार्यालय के कैशियर से दिनांक 04.09.2013 से दिनांक 18.09.2013 तक सुबह 10:00 बजे से 3:00 बजे तक रू. 200/– जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
टोडरमल मार्ग, अजमेर

निविदा–प्रपत्र   मूल्य रू. 200/–

1. निविदा प्रपत्र क्रमांक ....

2. निविदा प्रपत्र शुल्क रसीद संख्या ....

3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूरा पता ....

4. (1) PAN NO. ....
   (2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय ....
   में रजि. संख्या (सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)

5. विभाग के अधिकारी के हस्ताक्षर ....

6. निविदा सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के पते पर भेजें जिस पर श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा अंकित करें।

7. निविदा सूचना संख्या .... दिनांक................ जो सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा जारी की गई है मे वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए हम सहमत है तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्ते जो संलग्न पृष्ठों मे दी गई (जिसके समस्त पृष्ठो पर उनमे वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रतीक–स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है) का भी पालन करने के लिए हम सहमत है।

8. श्रमिक प्रदाय के लिए दरें संलग्न प्रारूपानुसार है।

9. आदेश प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि में श्रमिक उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

10. ऊपर बताई गई दरें एक वर्ष तक वैद्य है, किन्तु कार्य संतोषजनक पाये जाने पर दो से तीन वर्ष तक आपसी सहमति से आगे बढाया जा सकेगा।

11. अमानत राशि रू 20,000 जो कि नगद रसीद/ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक............... द्वारा जमा कराई गई है।

12. निविदा जमा कराने की अन्तिम दिनांक 18.09.2013 बजे 1.00 तक है।
    निविदा इसी दिनांक 18.09.2013 बजे 4.30 क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गठित समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता चाहे तो उपस्थित हो सकता है।

13. केन्द्र/राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराई जाने वाली राशि यथा सर्विस टैक्स जिसको इस कार्यालय द्वारा प्राप्त किया है की जमा प्रति अगले माह के बिल के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दूंगा।

दिनांक   निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता से संबधित सम्पूर्ण विवरण

फोटो

1. निविदादाता / प्रोपराईटर का नाम : ....

2. पिता का नाम : ....

3. फर्म / प्रोपराईटर का नाम मय रजिस्ट्रेशन नम्बर : ....

4. उपश्रमिक आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा जारी अनुज्ञप्ति (वर्तमान वर्ष की प्रतिलिपि) : ....
....

5. फर्म / प्रोपराईटर / निविदादाता का स्थाई पता...
....मो. न...

6. कार्यालय का पता :– ....

7. ठेके से संबधित कार्य का अनुभव यदि कोई हो तो :...(संतोषप्रद कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

8. आयकर विभाग पेन न. : ....

9. बैंक खाते का विवरण :– ....

मय MICR एंव IFSC कोड

10. अन्य विवरण यदि कोई हो तो: ....

निविदाता के हस्ताक्षर मय पता

दिनांक.........................

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर

वित्तीय दरें

1. अकुशल एंव कुशल श्रमिकों को केन्द्र सरकार के आदेशानुसार देय न्यूनतम राशि का भुगतान किया जावेगा जो केन्द्र सरकार के आदेशानुसार परिवर्तनीय होगी। केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान मे दरें निम्नानुसार है :–

श्रमिक का विवरण	अकुशल	कुशल
दरें प्रतिदिन		

2. श्रमिक उपलब्ध कराने एंव इनकी व्यवस्था संचालन के लिये मैं/हम दोनों कैटेगरी हेतु प्रति श्रमिक प्रति दिवस हेतु एक मुश्त निम्नानुसार राशि प्रस्तावित करते है।

प्रति श्रमिक राशि.................................(अंको मे)

(अक्षरे रू. ....)

(उक्त दरें अपरिवर्तन रहेंगी)

हस्ताक्षर निविदादाता मुहर सहित

नोट :–व्यवस्था संचालन के लिए बिन्दु संख्या 1 मे समस्त प्रकार के श्रमिंको हेतु प्रति श्रमिक प्रति दिवस की दर ही अंकित की जावे। अन्य कोई शर्तें मान्य नही होगी। उक्त दरें अपरिवर्तनीय होगी।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर

निविदा की शर्त

निविदादाता को निविदा फार्म भरने से पूर्व निम्न नियमों एवं शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया जाना चाहिए।

1. कोटेशन निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप में मोहरबन्द लिफाफें में बन्द करके भेजे जाने चाहिए।

2. दरों की इकाईयों में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जाना चाहिए और दरें शब्दों के साथ अंकों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए। अंकों एवं शब्दों में लिखी दरों में भिन्नता पाये जाने पर शब्दों में लिखी दरों ही प्रस्तावित दर मानी जावेगी।

3. निविदा जिस फर्म को स्वीकृत की जायेगी उसे कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट, 1970 की धारा 7 की उपधारा (2) तथा 3ए के अधीन बनाए गये नियमों के अधीन पंजीयान अधिकारी से लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) कर 15 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी।

4. अनुमोदित ठेकेदार के संबंध में यह समझा जावेगा कि उसने कार्य से संबंधित समस्त शर्तो या विस्तृत विवरण की जानकारी प्राप्त कर ली है कार्य आदि किसी अर्थ के संबंध में कोई संदेह हो तो उसे ठेकेदार हस्ताक्षर करने से उपापन अधिकारी से पूछताछ कर लेनी चाहिए और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए।

5. निविदाकार अपनी निविदा अथवा उसका सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य ठेकेदार/एजेन्सी को सौंप सकेगा और न किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।

6. निविदा पेन/बॉलपेन से भरी जानी चाहिए। पेन्सिल या अन्य किसी से भरी गई निविदा अस्वीकार योग्य होगी। अपलेखन (ओवर राईटिंग) नही किया जाना चाहियें यदि किया गया हो तो लधुहस्ताक्षरित होना चाहिए।

7. निविदाकार को निविदा की शर्तो और प्रविष्टियों की स्वीकृति के प्रतीक–स्वरूप निविदा प्रपत्र के पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करने चाहिए।

8. इच्छुक निविदाकारों को रूपये 20,000/– बतौर earnest money बोर्ड के खाते में जमा करानी होगी। अमानत राशि डिमांड ड्राफट के रूप में सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के पक्ष जमा करानी होगी।

नोट :– निविदा स्वीकृत होने के एक माह में असफल निविदाकारों की अमानत राशि वापस लौटा दी जावेगी तथा सफल निविदाकार की अमानत राशि निक्षेप का भाग मानी जावेगी।

9. सफल निविदाकार को निर्धारित प्रारूप में एक 100/– नॉन ज्युडिशियल स्टाप पर करार निष्पादित करना होगा ।

10. फर्मो को किये गये संदाय पर विप्रेक्षण व्यय संविदाकारों द्वारा वहन किया जावेगा।

11. यदि निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण नही किया जा सका तो निविदाकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि निविदाकार के हिसाब से और उसकी जोखिम पर बकाया कार्य करवाया जा सकेगा तथा उसमें हुई हानि की वसूली निविदादाता से की जावेगी, परन्तु निविदाकार प्रतिक्रम के फलस्वरूप लाभ का हकदार नही होगा तथा ऐसी हानि या नुकसान की वसूली निविदाकार को सरकार के साथ किये गये इस संविदा या किसी अन्य संविदा के अधीन देयराशि में से कर ली जावेगी। यदि बिल से वसूली संभव न हो तो और निविदाकार हानि या नुकसान की भरपाई एक महिने में ना कर पाये तो यह वसूली उस समय प्रकृत किसी विधि के अधीन कर ली जावेगी।

12. निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली सिफारिश के कारण निविदा अमान्य ही समझी जावेगी।

13. किसी भी निविदा की स्वीकार करने में संस्था प्रधान के लिये यह आवश्यक नही की वह निम्नतम दर वाली निविदा को ही माने तथा संस्था प्रधान के पास किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

14. किसी भी कारण से विवाद उत्पन्न होने पर संस्थान प्रधान का निर्णय अंतिम होगा तथा न्यायिक क्षेत्र अजमेर होगा।

15. अनुमोदित दरें एक वर्ष तक मान्य होगी। इससे आगे की अवधि पारस्परिक सहमति से दो या तीन वर्ष बढाई जा सकती है।

16. आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे। श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हेतु तीन दिन पूर्व सूचित कर दिया जावेगा।

17. भुगतान की जाने वाली राशि पर स्त्रोत पर आयकर की कटोती आयकर अधिनियम के प्रावधानानुसार की जावेगी।

18. श्रमिकों को डाक मंगवाना आवेदन–पत्रों को एक अनुभाग को दूसरे अनुभाग में भिजवाना बोर्ड में आने वाले ट्रकों से सामग्री उतरवाना व बोर्ड में यथास्थान रखवना, बोर्ड से जाने वाली उत्तर–पुस्तिकाओं, प्रश्न–पत्रों के बण्डल वाहनों, पर रखवाना, सम्पूर्ण भवन की सफाई करवाना व निर्देशानुसार अन्य सभी कार्य करने होंगे।

लगातार..........3

19. समय पर श्रमिक उपलब्ध नही कराने की स्थिति में प्रथम दिन रू. 10/–प्रतिश्रमिक, दूसरे दिन 20/–प्रति श्रमिक व तीसरे दिन रू 30/–प्रति श्रमिक व इसके पश्चात अनुबंध की दरों के आधार पर प्रतिश्रमिक क्षतिपूर्ति की राशि वसूल की जावेगी।

20. श्रमिकगण की शैक्षणिक योग्यता उनके कार्य एवं पद के अनुकूल होनी आवश्यक होगी जिसे कि कार्य की प्रकृति के आधार पर निर्धारित करने का अधिकार संस्था प्रधान का होगा।

21. श्रमिको को संस्थान में लागू विधि जन्य मान्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयावधि में प्रतिदिन कार्य करना होगा। कार्य का समय आवश्यकतानुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

22. अवधि अवसान टेण्डर को स्वीकार नही किया जावेगा।

23. उपरोक्त शर्तों के अलावा निविदा में किन्ही अन्य शर्तो पर विचार नही किया जावेगा।

24. श्रमिक ठेकेदार, निविदा के साथ अपने कार्य अनुभव व यदि कोई है, तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।

25. श्रम अधिनियम के अनुसार श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान ठेकेदार द्वारा करना होगा तथा प्रत्येक बिल के उपर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार भुगतान करने का प्रमाण पत्र अंकित करना होगा। साथ ही विभिन्न श्रम कानूनों की पालना का दायित्व भी ठेकेदार का होगा।

26. श्रमिक ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करते समय गत माह में प्राप्त किये भुगतान राशि पर देय दर से सर्विस टैक्स, केन्द्रीय उत्पाद कर विभाग में जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आगामी माह का भुगतान किया जावेगा। श्रमिक, ठेकेदार स्वयं के स्तर से सर्विस टैक्स का चालान जमा कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

मय पता

मोबाईल नं.

(23।07) [signature]